न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 111 / 19 GCMS id : *2019* / 00168

1. सूरज बाई पत्नी स्व. रामकरण
2. भगवान दास आत्मज स्व. रामकरण
3. आत्माराम आत्मज स्व. रामकरण
4. प्रेम प्रकाश आत्मज स्व. रामकरण
5. सुनीता बाई पुत्री स्व. रामकरण पत्नी सूरजमल

जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम रोटेदा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 12.03.2021

उपस्थिति : श्री रामस्वरूप ऋषि, अभिभाषक वादीगण

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* ग्राम व पटवार हल्का डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 225, 226, 227, 362, 614 / 744 कुल किता 5 रकबा 1.29 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वादिनी क्रम–1 के ससुर व वादी नम्बर 2 लगायत 5 के दादा रोड़ू जी व अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। रोडू जी के देहावसान के पश्चात उनके वारिस शंकर व राधाकिशन के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया किन्तु प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम रामकरण के स्थान पर सहवन से राधाकिशन अंकित हो गया जो गलत है।

* वादीगण के पति व पिता का नाम रामकरण है और उनका बोलता नाम राधाकिशन है। उनके आधार कार्ड व वोटर आई.डी. कार्ड एवं राशन कार्ड में रामकरण अंकित है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में इंतकाल खोलते समय सहवन से रामकरण के स्थान पर पटवारी हल्का द्वारा राधकिशन अंकित कर देने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश राधकिशन अंकित हो गया है।

* वादीगण के पिता व पति रामकरण आत्मज रोडू जी का देहावसान दिनांक 22.01. 2017 को होने के कारण वादीगण के पति व पिता के हिस्से की भूमि पर वादीगण के नाम इंतकाल तस्दीक नहीं हो पा रहा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में राधाकिशन के स्थान पर राधाकिशन उर्फ रामकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अन्य ग्राम मण्डाना की आराजी में वादीगण के पति व पिता का नाम रामकरण आत्मज रोडू अंकित है।

* इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रतिवादी से दिनांक 08.10.2019 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दियाऔर मना कर दिया, जिसका यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

* वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादीगण के पति व पिता का नाम गलत दर्ज करने पर, फोती नामान्तरकरण नहीं खुलने पर तथा दिनांक 08.10.2019 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त नहीं करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

* उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहा प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है। धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन पत्र पेश है।

* माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणधिकार प्राप्त है, कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में स्थित है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

* अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि –

* ग्राम व पटवार हल्का डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 225, 226, 227, 362, 614/744 कुल किता 5 रकबा 1.29 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति व पिता का नाम राधकिशन के स्थान पर राधकिशन उर्फ रामकरण आत्मज रोडू दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : ग्राम व पटवार हल्का डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 225, 226, 227, 362, 614/744 कुल किता 5 रकबा 1.29 की जमाबन्दी।

प्रदर्श–2ए : रामकरण पुत्र रोडूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 08127001000000101109 दिनांक 17.03.2017 की फोटोप्रति मय कोर्ट फीस टिकिट।

प्रदर्श–3ए : वादिनी क्रम–1 के आधार कार्ड नम्बर 4817.5503.3103 की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–4ए : वादी क्रम–2 के आधार कार्ड नम्बर 9392.4935.4597 की स्वप्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–5ए : वादी क्रम–3 के आधार कार्ड नम्बर 3002.8880.6433 की स्वप्रमाणित प्रति।
प्रदर्श 6ए : वादी क्रम–4 के आधार कार्ड नम्बर 3588.3920.7136 की स्वप्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–7ए : वादिनी क्रम–5 के आधार कार्ड नम्बर 9705.8735.0400 की स्वप्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–8ए : स्व. रामकरण पुत्र रोडूलाल के आधार कार्ड नम्बर 8401.7195.8065 की प्रति।
प्रदर्श–9ए : स्व. रामकरण पुत्र रोडू के नाम जारी परिवार कार्ड बारकोड–107004116175

3- वादीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत वाद ग्राम डोबडा, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी से सम्बन्धित होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के प्रकरणों का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। साथ ही प्रस्तुत वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश होने एवं धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र दावे के साथ संलग्न होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नियमानुसार तलबी सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा अथवा कोई रिपोर्ट आदि प्राप्त नहीं हुई। बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे है।

4- फलस्वरूप, प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम–1 के पति एवं वादी क्रम 2 लगायत 5 के पिता स्व. रामकरण पुत्र रोडू का नाम राधाकिशन पुत्र रोडू दर्ज हो जाने के कारण नाम की दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा केवल अपने पिता के नाम में संशोधन चाहा गया है। इससे किसी अन्य सहखातेदार के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वादीगण की ओर से स्वयं के आधार कार्ड के साथ ही स्व. रामकरण पुत्र रोडू के आधार कार्ड (प्रदर्श 8ए), परिवार कार्ड (प्रदर्श–9ए) तथा मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2ए) की प्रति भी पेश की गई। अतः वादीगण का दावा स्वीकार करके, नाम की दुरूस्ती कर रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करावें।

5- हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर गनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि **विवादित आराजीयात** वादीगण के पति व पिता एवं अन्य के **संयुक्त खाते की** आराजीयात है, जिसमें **लेखन भूल** के कारण स्व. रामकरण पुत्र रोडू का नाम **राधाकिशन पुत्र रोडू दर्ज** होने से वादीगण को आराजी से से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो के लिये व्यवहारिक परेशानी होना स्वाभाविक ही है। स्व. रामकरण पुत्र रोडू के नाम के दस्तावेज प्रदर्श–2ए, प्रदर्श–8ए तथा प्रदर्श–9ए पेश किये गये है। इसके साथ ही दौरान साक्ष्य, वादीगण की ओर से स्व. रामकरण पुत्र रोडू के भाई शंकर के पुत्र सत्यनारायण, आयु 55 वर्ष जाति, बलाई, निवासी विकास नगर, नान्ता रोड, कुन्हाडी, कोटा के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें स्व. रामकरण पुत्र रोडू नाम ही सही नाम होना स्वीकार किया गया है। साथ ही, शपथ पत्र में कथन किया है कि वादीगण के पिता का नाम राधाकिशन कभी नहीं रहा है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार हल्का डोबडा, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 225, 226, 227, 362, 614/744 कुल

किता–5 रकबा 1.29 हैक्टर आराजी के सहखातेदार **राधाकिशन पुत्र पुत्र रोडू** के नाम की दुरूस्ती की जाकर इसके स्थान पर **राधाकिशन उर्फ रामकरण पुत्र रोडू** दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

8- निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित करवाया जाकर आज दिनांक **12 फरवरी, 2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा